

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

: आदेश :

संख्या-2ए/आरोप-1-153/12 काठो _____/राँची, दिनांक- सितम्बर, 2012
श्री सुरेश कुमार दुदानी, झटो प्रो से०, संप्रति उप सचिव, स्वास्थ्य
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को विभागीय आदेश सं०-8196
दिनांक-14.7.12 द्वारा निलंबित किया गया था पुनः विभागीय आदेश सं०-9842
दिनांक-25.8.2012 द्वारा "निकल्प में सचेत रहने की चेतावनी" के साथ निलंबन से मुक्त
किया गया ।

2. श्री दुदानी के दिनांक-14.7.12 से 24.8.12 तक निलंबन अवधि
को बिहार सेवा संहिता के नियम 97 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार
विनियमित किया जाता है:-

"निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं
होगा तथा उक्त अवधि की गणना पेंशनादि के निमित्त की जाएगी ।

3. इसमें सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
EO/-

श्रीयतीन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव ।

झापांक-2ए/आरोप-1-153/12 काठो _____/राँची, दिनांक- सितम्बर, 2012
प्रतिबिधि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को
झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

जफर/-

झापांक-2ए/आरोप-1-153/12 काठो 11208 /राँची, दिनांक- 01 सितम्बर, 2012

प्रतिबिधि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्यमंत्री के
प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा,
शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/
प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ/
श्री सुरेश कुमार दुदानी, झटो प्रो से०, संप्रति उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा-2 तथा 2ए/चारित्र्यी को
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

श्रीयतीन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव ।

CL